[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रकरण 136 LRAct 49/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
23/10/19	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुयी। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गयी। जिसमें बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि ख० न० 4164 ता 4166, 4546 ता 4560, 4562 ता 4568, 4571 ता 4572, 4575, 4575/4816 कुल किता - 21 कुल रकबा 24.21 हे० तन ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान अवस्थित में प्रार्थी के पिता के नाम 1/16 हिस्से की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का गोपीराम पुत्र मंगलचन्द गलत अंकित हो गया जबकि सही नाम गोपीचन्द पुत्र मंगलचन्द है। समस्त दस्तावेज में भी प्रार्थी के पिता का नाम गोपीचन्द अंकित है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीराम पुत्र मंगलचन्द के स्थान पर गोपीचन्द पुत्र मंगलचन्द दुरूस्त किया जावे।
	वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज (छाया प्रति) क्रमशः प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीचन्द अंकित है तथा प्रार्थी के पिता गोपीचन्द के मृत्यु

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, सीनियरी किन्न 31/12/1972, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम गोपीचन्द दर्ज है। उक्त उक्त सभी दस्तावेजो के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct में वर्णित तथ्य साबित होते है। अतः चाहि गयी दुरुस्ति न्यायोचित है। अतः प्रार्थी की प्रा० पत्र अ० धारा 136 LRAct स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-	
	आदेश	
	कृषि भूमि ख० नं० 4164 ता 4166, 4546 ता 4560, 4562 ता 4568, 4571 ता 4572, 4575, 4575/4816 कुल किता 29 कुल रकबा 24.21 है० तन ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान के 1/16 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीराम पुत्र मंगलचन्द के स्थान पर गोपीचन्द पुत्र मंगलचन्द दुरुस्त किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23/10/19 को सरे इजलास सुनाया गया।	
	23/10/19 (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner